"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जून 2016—ज्येष्ठ 27, शक 1938

राज भवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 3-1/2010/रास/यू-2.— इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) की धारा-26(2)(iii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के बोर्ड में निम्न सदस्यों का नामनिर्दिष्ट किया गया है :-

Agriculture

Prof. Ramkrishnaiya, Team Leader (MSG), Small Farmers Agribusiness Consortium (SFAC), GOI, New Delhi.

Veterinary, Fisheries and Dairy

Prof. K. M. L. Pathak, Vice Chancellor, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Pashu-Chikitsa Vigyan Viswavidyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan, Mathura.

Agricultural Engineering

Dr. R. T. Patil, Former Director, Central Institute of Post Harvest Engineering & Technology (CIPHET) (ICAR) Ludhiana - 141004 (Punjab).

हस्ता./-
(जनमेजय महोबे)
राज्यपाल के संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .